न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 203/2019 निर्णय दिनांक :–07.10.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. घांसीलाल पुत्र मडया, जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
2. जमना बेवा मडया जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
3. रूकमा पुत्री देवीलाल जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कमला पुत्री दुर्गालाल जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
2. नन्दकिशोर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
3. गणेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
4. कर्मा पुत्री गोपाल जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
5. छोटी पुत्री गोपाल नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता एवं संरक्षिका रसाली पत्नि गोपाल जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
6. रसाली पत्नि गोपाल जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
7. भूरा पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
8. रामनाथ पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
9. हरनाथ पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
10. रामदेवा पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)

11. गोकुली पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)
12. तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति
श्री विजय पारीक
अधिवक्ता वादीगण

श्री अशोक कुमार गप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6
श्री राधेगोपाल शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 10
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 7

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अ० धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0–1 ता 6 के पूर्वजो का सजरा निम्न प्रकार है ।

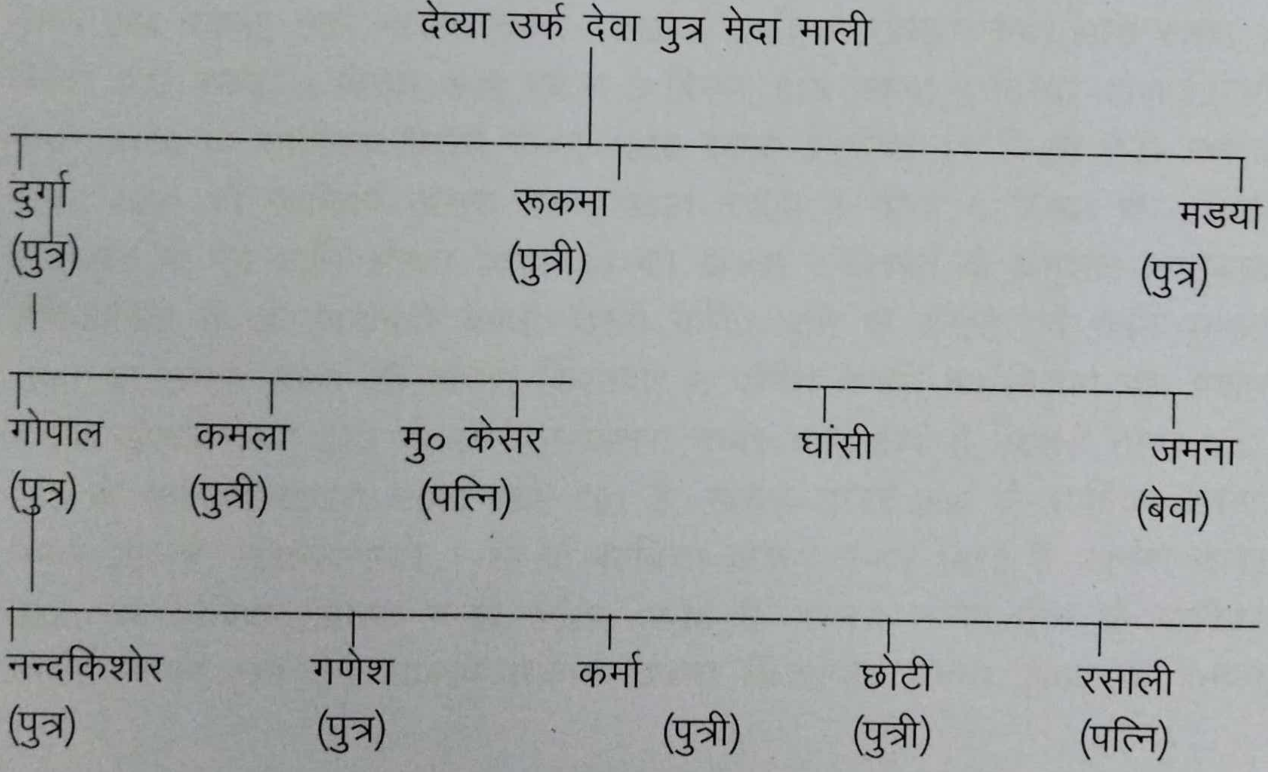

भूमि खसरा नम्बर 846 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1590 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2488 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4991 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.28 हैक्टेयर, कुल किता–7, कुल रकबा 4.50 हैक्टेयर वाके ग्राम दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0) मे वाके है। गत भू–प्रबन्ध के समय बनाई गई जमाबंदी जो खतौनी जमाबंदी सम्वत 2046 से 2065 है, के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थी सं0–1 तथा अप्रार्थी सं0–2 ता 5 के पिता व अप्रार्थी सं0–6 के पति गोपाल पुत्र दुर्गालाल की खातेदारी मे अंकित भूमि है। गत भू–प्रबन्ध से पूर्व सम्वत 2012 के आस पास भू–प्रबन्ध की कार्यवाही हुई तथा उस समय भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2014 मे नई जमाबंदी व रिकार्ड तैयार किया गया, बनायी गई, जिसमे उक्त आराजीयात को अप्रार्थी सं0–1 के पिता तथा अप्रार्थी सं0–2 ता 5 के पिता के पिता दुर्गालाल पुत्र देव्या के नाम खातेदारी मे उक्त भूमि अंकित की गई। तब उक्त मे हाल खसरा नम्बर 846 के साबिका खसरा नम्बर 578 रकबा 8 बीघा, हाल खसरा नम्बर 1588 के साबिका खसरा नम्बर 960 रकबा 4 बिस्वा, 961 रकबा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1590 के साबिका खसरा नम्बर 964 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1598 के साबिका खसरा नम्बर 964 रकबा, हाल खसरा नम्बर 1599 के साबिका खसरा नम्बर 976 रकबा 7 बिस्वा, 977 रकबा 4 बिस्वा, 978 रकबा 3 बिस्वा, 979 रकबा 6 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 2488 के साबिका खसरा नम्बर 1926 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 4991 के साबिका खसरा नम्बर 3821 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा थे । उक्त बन्दोबस्त से पूर्व यानि सम्वत 2012–13 की खसरा बन्दोबस्त के अनुसार बन्दोबस्त अधिकारियो ने जो जमाबंदी बनाई, उसमे वर्णित भूमि के उससे पूर्व यानि सम्वत 1941 या सम्वत 2003 की खसरा किश्तवार मे वर्णित नम्बरो का मिलान इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 578 के साबिका खसरा नम्बर 467, 671 है, खसरा नम्बर 960, 961 के साबिका खसरा नम्बर 792, 791 है, खसरा नम्बर 964 के साबिका खसरा नम्बर 789 है, खसरा नम्बर 1926 के साबिका खसरा नम्बर 1612 है, खसरा नम्बर 3821 के साबिका खसरा नम्बर 3529, 3528 है, खसरा नम्बर 976 के साबिका खसरा नम्बर 778 है। राजस्व रिकार्ड खसरा किश्तवार सम्वत 2003 या सम्वत

1941 मे वर्णित उक्त खसरा नम्बर 467, 471, 791, 792, 789, 1612, 3528, 3529, 778 की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0–1 ता 6 के पूर्वज देव्या पुत्र मैदा माली निवासी दूनी, तहसील देवली, जिला टोंक (राज0) की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है, जिसे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0–1 ता 6 अपने पूर्वज देव्या (देवीलाल) पुत्र मैदा के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन गत बन्दोबस्त 2046–65 से पूर्व जो बन्दोबस्त हुआ, जिसमे भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी वैध हस्तान्तरण या बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के ही उक्त आराजीयात जो पुश्तैनी है, उसे देव्या पुत्र मैदा माली के बड़े पुत्र दुर्गा पुत्र देव्या की खातेदारी में अंकित कर दी, जबकि देव्या के सम्वत 2014 में दो लडके दुर्गा व मडया व एक पुत्री रूकमा भी जीवित थे, जिससे उक्त भूमि दुर्गा के 1/3 हिस्से में, मडया के 1/3 हिस्से में तथा रूकमा के 1/3 हिस्से मे दर्ज की जानी चाहिए थी। भू–प्रबन्ध अधिकारियो को देव्या की खातेदारी की भूमि को उसके अन्य वारिसान जीवित होने के बावजूद अकेले दुर्गा पुत्र देव्या की खातेदारी मे अंकित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। उनके द्वारा की गई कार्यवाही प्रार्थीगण के हितो के प्रति शून्य है तथा उसके बाद की प्रविष्टिया भी प्रार्थीगण के विरूद्ध अवैध व शून्य है। सम्वत 2014 के समय भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खतौनी जमाबंदी मे केवल दुर्गा की खातेदारी ही दर्ज की गई। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के 2/3 हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है, जिसमे दुर्गा के जीवनकाल मे दुर्गा ने व उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण सं0–1 ता 6 ने कोई मजाहमत नही की, इस कारण प्रार्थीगण या उनके पूर्वज मडया को उक्त त्रुटि का ज्ञान नही हो सका कि वादग्रस्त उक्त भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र दिनांक 28.06.2000 को राजस्व शिविर दूनी में उपखण्ड अधिकारी द्वितीय टोंक को इस आशय किया उनके पिता व ससुर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया है। इस कारण 1/2 हिस्से की आराजी प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा 1/3 हिस्से की आराजी प्रार्थी सं0–3 खातेदारी दर्ज की जावे। उक्तानुसार आदेश उक्त आराजी 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण सं०–1 व 2 1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी में दर्ज कर दिया के तथा उपखण्ड अधिकारी द्वितीय टोंक के आदेश को अप्रार्थी श्रीमति कमला पुत्री दुर्गालाल ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां पेश करकर चुनोति दी गई, जिन्होने अपील आंशिक स्वीकार पत्रावली उपखण्ड

अधिकारी देवली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि, पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत के अवसर देकर निर्णय करे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली ने अपने निर्णय 05.04.2019 द्वारा यह आदेश दिया कि इस न्यायालय द्वारा कैम्प दूनी में किये गये निर्णय को निरस्त किया जाता है एवं जमाबंदी सम्वत 2054—2057 वाके दूनी के सं0—218 व 219 खसरा नम्बर—846, 1588, 1590, 1598, 2448, 4991, 1599 कुल किता 7, कुल रकबा 4.50 हैक्टेयर को दुर्गा पुत्र देव्या के विधिक वारिसान अप्रार्थी सं0—1 ता 6 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान को नवीन दस्तावेजात एवं सबूतों के आधार पर उक्त आराजी के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता रहेगी, इस कारण यह वाद प्रस्तुत है। राजस्व रिकार्ड मे 2/3 प्रार्थीगण की खातेदारी मे उक्तानुसार दर्ज होने के बाद भूमि खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.28 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण ने दिनांक 11.06.2003 को अप्रार्थी सं0—8 को विक्रय कर देने से उसकी खातेदारी मे भूमि विक्रयपत्र के अनुसार अंकित हो गयी है तथा प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 2488 रकबा 0.77 हैक्टेयर के 2/3 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0—11 को दिनांक 11.06.2003 को विक्रय कर देने से अप्रार्थी नं0—11 की खातेदारी में 1/2 हिस्से की आराजी अंकित हो गई है तथा शेष 1/6 हिस्से की भूमि प्रार्थी सं0—3 की खातेदारी में अंकित है, इस कारण क्रेतागण को पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त भूमि उक्त सजरा के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0—1 ता 6 के पूर्वज देव्या उर्फ देवीलाल पुत्र मैदा माली निवासी दूनी, तहसील देवली हाल तहसील दूनी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि होने से प्रार्थीगण स्व० देव्या पुत्र मैदा के उपरोक्त शजरे के अनुसार विधिक वारिस होने से तथा 2/3 हिस्से की भूमि उनकी वास्तविक खातेदारी व कब्जेकाश्त की होने से उदघोषणा की डिक्री प्राप्त कर उक्त भूमि के 2/3 हिस्से को राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण अपने हक में खातेदारी इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं0—1 ता 6 प्रार्थीगण को उक्त भूमि के 2/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार उक्त निर्णय हो जाने के बाद मना करने लगे है तथा प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से की कब्जेकाश्त की भूमि मे मजाहमत करने की धमकी दे रहे है, इस कारण यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि के 2/3 हिस्से के खातेदार, काबिज काश्तकार है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। अप्रार्थी सं0—1 ता 6 को उक्त बेजा हरकतो से नही रोका गया तो वे

प्रार्थीगण को उनकी हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे, इस कारण अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे स्वयं, जरिये एजेण्ट, नौकर, रिश्तेदार, ठेकेदार अथवा अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त भूमि के 2/3 हिस्से प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे, भूमि को खुर्द बुर्द कर रहन, बेचान, दान नही करे, अन्यथा प्रार्थीगण अपने जायज हको से महरूम हो जावेंगे, उन्हें अपार क्षति होगी। अतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीका फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वे स्वयं जरिये एजेण्ट, नौकर, रिश्तेदार, ठेकेदार अथवा अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से भूमि खसरा नम्बर 846 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1590 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2488 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4991 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.28 हैक्टेयर, कुल किता–7, कुल रकबा 4.50 हैक्टेयर वाके ग्राम दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक (राज0) में प्रार्थीगण की 2/3 हिस्से की भूमि में मजाहमत व मदाखलत नही करें, भूमि को रहन, बेचान, दान नही करे, खुर्द बुर्द नही करे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के हित में लाभप्रद हो, दिलायी जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–

यह कि प्रा०पत्र का चरण न० 1 मे केवल मात्र वादपत्र पेश होना स्वीकार है गलत है अस्वीकार है, पृथाम दृष्टिया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षतिके तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर प्रतिपक्षीगण के पक्ष में सिद्ध है । प्रार्थना पत्र का चरण न0 2 मे जो सजरा पेश किया गया बिल्कुल गलत है, स्वीकार नही है । प्रार्थना पत्र काचरण न0 3 में वर्णित आराजियात ग्राम दूनी में स्थित होना स्वीकार है । प्रा०पत्र का चरण न० 4 जिस प्रकार अकिंत किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है, विवादित भूमि स0 2014 से 2029 की जमाबन्दी में दुर्गालाल पुत्रदेव्या माली के नाम अकिंत थे उक्त खसरा नम्बरान से प्रार्थीगण कोई

सम्बन्ध नही है । प्रा०पत्र का चरण नं0 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया हे गलत है स्वीकार नही है, विवादित भूमि दुर्गालाल पुत्र देव्या द्वारा स्वयं बनायी हुई है उक्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 6 जिस प्रकार विर्णत किया गया है गलत है स्वीकार नही है। स० 2014 के प्रबन्ध के समय उक्त भूमि सही रूप से दुर्गालाल की खातेदारी में अकिंत की गयी है उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा नही है तथा मोके पर आज भी विवादित जमीन के सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 6 का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र का चरण न0ं 7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है प्रार्थीगण ने दिनांक 28–6–2000 को राजस्व शिविर दूनी में स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया था और उक्त आदेश के खिलाफ कमला पुत्री दुर्गालाल ने राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील पेश की थी जो रिमाण्ड कर दी गयी थी और एस–डी–ओ देवली द्वारा दिनाक 5–4–2019 को अपने निर्णय में दुर्गालाल के विधिक अधिकारियो के नाम खातेदारी घोषित कर दी थी जिसके आधार पर विवादित जमीन का नामान्तरकरण प्रतिपक्षीगण के पक्ष में खुल चुका है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 जिस प्रकार वर्णित किया गया है स्वीकार नही है, प्रार्थीगण द्वारा ख0 न० 1599 में से 1/3 हिस्सा दिनांक 11–6–2003 को प्रतिपक्षी न० 8 को तथा ख. नं. 2488 रकबा 0.77 है0 में से 2/3 हिस्से 1/2 हिस्सा प्रतिपक्षीगण न० 11 को दिनांक 11–6–2003 को बेचान किया हे उक्त दोनो विक्रय पत्र अवैध है और प्रार्थीगण द्वारा अवेध रूप से उक्त भूमि का पंजीयन प्रतिपक्षी न0 8 ता 11 के नाम करवाया गया है उक्त विक्रयपत्र व उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण प्रतिपक्षीगण न0 1 ता 6 के हितो के विपरीत शून्य घोषित किये जाने योग्य है । प्रार्थनापत्र का चरण नं० 9 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है । विवादित भूमि में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा नही है, और मोके पर भी काबिज नहीं है । प्रा०पत्र का चरण न0 10 गलत है स्वीकार नही है, प्रार्थीगण का विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा नहीं है । प्रा0पत्र का चरण न० 11 बिल्कुल गलत हे स्वीकार नहीं है, प्रार्थीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नही है, उनका इस भूमि में 2/3 हिस्सा नही है, प्रार्थीगण को खातेदारी घोषणा का वाद व बंटवारे का वाद पेश करने का अधिकार नही है। प्रा0पत्र का चरण नं0 12 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है, जब प्रार्थीगण का मोके पर कब्जा नही हे तो प्रतिपक्षीगण न0 1 ता

6 द्वारा मजाहमत करने का प्रश्न पैदा नही होता है, वर्तमान में विवादित आराजियात का प्रतिपक्षीगण नं. 1 ता 6 खातेदार काश्तकार है । प्रार्थनापत्र में चाही गयी अधियाचना गलत हे स्वीकार नही है, प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खारिज किये जाने योग्य है। **विशेष आपत्तियां**:–वास्तविकता यह है कि स० 2014 से 2029 कीजमाबन्दीमै साबिक ख. नं. 472, 473, 578, 960, 961, 964, 976, 1794, 1795, 1796, 2821, किता 11 कुल रकबा 27 बीधा 8 बिस्वा भूमि दुर्गा पुत्र देव्या माली की खातेदारी में अकिंत थी । उक्त भूमि को देव्या ने ही काफी पेसा लगाकर उपजाऊ बनायी थी उक्त भूमि से दुर्गा के पिता देव्या व प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही, प्रार्थीगण का विवादित आराजियात से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीगण का विवादित आराजियात मे कोई 2/3 हिस्सा नही है । हाल ख0न0 1599 रकबा 0.28 हे०, ख0न0 846 रकबा 1.92 है0 ख0न0 1588 रकबा 0.15 है0 ; ख0न0 1590 रकबा 0. 20 है0 ख0न0 1598 रकबा 0.19 है0, ख0न0 4991 रकबा 1.02 है0 ख0न. 2488 रकबा 0.77 है0, भूमि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 5–4–2019 की पालना में प्रतिपक्षीगण नं.1 ता 6 की खातेदारी मे लगा दी गयी है, प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 5–4–2019 के विरूद्ध कोई अपील पेश नही की है वर्तमान मे प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 6 विवादित खसरा नम्बरान पर काबिज व खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है । अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे ।

प्रतिवादीगण संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार पेश है – वाद पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 7 स्वीकार है। प्रतिवादीया संख्या 11 द्वारा खसरा नम्बर 2488 का राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे बाबत निरीक्षण करने के पश्चात उक्त आराजी का 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री दिनांक 11.06.2003 को अपने हक में करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम नामांतकरण इन्द्राज करवाया था। उक्त आराजी को प्रतिवादीया संख्या 11 के परिजनो ने जरिये इकरार नामा दिनांक 01.06.1987 को सम्पूर्ण विक्रय मूल्य

अदा कर कय किया था जिसमे विक्रेतागण वादी नम्बर 1 व 2 के पिता मड्या व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पूर्वज गोपाल ने प्रतिवादीया संख्या 11 के परिवारजन को विकय किया था तब से उक्त सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादीया संख्या 11 का कब्जा है परन्तु किसी कारणवश विकय पत्र पंजीयन कराते समय गोपाल के हस्ताक्षर नही हो पाये थे इस कारण उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का ही पंजीयन प्रतिवादीया संख्या 11 के हक में पंजीयन हो पाया था जबकि सन् 1987 से ही खसरा नम्बर 2488 रकबा 0.77 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 11 का कब्जा है। वाद पत्र का चरण नम्बर 8 स्वीकार है परन्तु खसरा नम्बर 2488 को प्रतिवादीया संख्या 11 अपने हक में खातेदारी इन्द्राज करवाने की अधिकारी है। वाद पत्र का चरण नम्बर 9 स्वीकार है परन्तु खसरा नम्बर 2488 को प्रतिवादीया संख्या 11 के हक में खातेदारी इन्द्राज किया जाये। वाद पत्र का चरण नम्बर 10 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 11 स्वीकार है। प्रतिवादीया संख्या 11 की भूमि खसरा नम्बर 2488 रकबा 0.77 है० सम्पूर्ण भूमि के लिये पाबंद किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र का चरण नम्बर 12 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नम्बर 13 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 14 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नम्बर 15 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में चाही गयी अधियाचना अ, ब, स, द, य स्वीकार है परन्तु खसरा नम्बर 2488 रकबा 0.77 है0 भूमि को प्रतिवादीया संख्या 11 के नाम खातेदारी की उद्घोषणा की जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेगोपाल ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 ता 7 को स्वीकार किया। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 स्वीकार है। प्रतिपक्षी संख्या 8 द्वारा खसरा नम्बर 1599 का राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे बाबत निरिक्षण करने के पश्चात उक्त आराजी का 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री दिनांक 11.06.2003 को अपने हक में करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम नामांतकरण इन्द्राज करवाया था तब से उक्त आराजी पर प्रतिपक्षी संख्या 8 का कब्जा हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 स्वीकार है परन्तु खसरा नम्बर 1599 मे 1/3 हिस्से की भूमि को प्रतिपक्षी संख्या 8 अपने हक मे खातेदारी इन्द्राज करवाने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 10 स्वीकार है परन्तु खसरा नम्बर

1599 में 1/3 हिस्से की भूमि को प्रतिपक्षी संख्या 8 के हक में खातेदारी इन्द्राज किया जावे। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 11 स्वीकार है। प्रतिपक्षी संख्या 8 की भूमि खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.28 है0 मे से 1/3 हिस्से की भूमि के लिये पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 8 की भूमि खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.28 है0 में से 1/3 हिस्से की भूमि के लिये पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीगण संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्यतया प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है । मड़्या व दुर्गा आपस में भाई है। विवादित भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का हिस्सा साबित है। प्रार्थना पत्र में जमाबन्दी संलग्न है जिसमें दुर्गा पुत्र देव्या माली के नाम का अंकन है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने अपनी बहस में मुख्यतया जवाब को दोहराते हुए कथन किया कि सन् 2000 में 1/3–1/3 हिस्से का वाद प्रार्थीगण ने किया था जो मान. न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस विवादित आराजी से सम्बन्धित एक वाद कमला बनाम घासी इसी न्यायालय से पूर्व में डिक्री हो गया है जिसका नामान्तकरण भी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम खुल गया है। प्रार्थीगण ने ऐसी कोई जमाबन्दी पेश नहीं की है जिसमें देव्या/देवा का नाम हो। प्रार्थीगण ने नये कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार है और काबिजकाश्त है। टी. आई मेन्टनेबल नहीं है। अधिवक्ता वादी ने माननीय राजस्व मण्डल का दृष्टान्त **2021 आरबीजे 245 व 2021 आरबीजे 402** पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 11 ने कथन किया कि हमने जमीन मड़्या से जरिए रजिस्ट्री खरीदी है । दावा डिक्री किया गया जिसमें हमारा

नाम हट गया। हमारे द्वारा खरीदी गई भूमि पर कब्जा हमारा है। अस्थायी निषेधाज्ञा की जानी आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 10 ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण विवादित आराजी में 2/3 हिस्से पर खातेदारी घोषित करवाने व प्रतिवादीगण को उक्त हिस्से पर मजामहत नहीं करने व खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थीगण के अनुसार देव्या की भूमि केवल एक पुत्र दुंर्गा के नाम लग गई जबकि देव्या के दो पुत्र दुर्गा, मडया व एक पुत्री रूकमा थी। रूकमा व मडया को वारिसान विवादित भूमि में 2/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेज भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2014–29 दुर्गा पुत्र देव्या जाति माली के नाम कुल किता 11 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में दुर्गा पुत्र देव्या के नाम कुल किता 8 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 553 में न्यायालय हाजा के निर्णय अनुसार दुर्गा के वारिसान के नाम नामान्तकरण भरा गया है।, खाता संख्या 250 व 254 में न्यायालय के निर्णय अनुसार सम्पूर्ण खाता का नामान्तकरण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम खोला गया है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के ख. नं. 846, 1588, 1590, 1598, 4991 कुल किता 5 में मडया के वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थीगण संख्या 3 का 1/3 हिस्से का अंकन है। पत्रावली में ऐसी जमाबन्दी संलग्न नहीं है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी देव्या की भूमि थी जो केवल उसके बड़े पुत्र के नाम गलती से लग गई है। प्रार्थीगण नें केवल खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 पेश की जिसमें कॉलम नं. 23 देव्या वल्द मेदा माली का अंकन है जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त आवश्यक राजस्व दस्तावेजात नहीं है। खसरा गिरदावरी केवल एक आकस्मिक तत्समय का दस्तावेज होता है। खसरा गिरदावरी के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल का दृष्टान्त **2021 आरबीजे 245 व 2021 आरबीजे 402** के अनुसार खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड ऑफ राईटस अर्थात अधिकारो को साबित करने से सम्बन्धित दस्तावेज नहीं है। प्रार्थीगण ने पूर्व वाद के अलावा अन्य कोई नये

दस्तावेज पेश नहीं किये है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र में अन्य अनावश्यक दस्तावेजो पर अवलोकन व मनन करने की आवश्यता प्रतीत नहीं हुई। नियमित वाद में आवश्यक राजस्व दस्तावेजो, साक्ष्यो व सबूतो के साथ प्रार्थीगण को अपने अधिकारों को साबित करने का अवसर है। अप्रार्थीगण संख्या 11 के अधिकार वाद में ही तय हो पायेंगे। अतः आवश्यक राजस्व दस्तावेजो व अन्य दस्तावेजो के अभाव में यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली